तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो इ... की तामील में ...
17/05/2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रघुवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख सा. दावी-चक 3-NKR, चक हीरा सिंह वाला ने चक 3-NKR के पत्थर नं. 150/149 के मु.नं. 41 के कि.नं. 15 में अपनी ढाणी, मकान व इसी मुरब्बे के अपनी खातेदारी भूमि के किल्लों में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता के मध्यनजर रास्ता, धारा 251-A RTA के तहत चाहा।	

प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, जो केवल सुविधा के उपभोग के लिये नहीं मांगा जा रहा है, प्रार्थी को वैकल्पिक अन्य रास्ता उपलब्ध भी नहीं है। पत्रावली में आपसी राजीनामा दिनांक 08.02.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें पक्षकार प्रार्थी को रास्ता देने में सहमत है। इसी प्रकार पत्रावली में अन्य शेष पक्षकारों का भी समझौता/राजीनामा दिनांक 10.02.21 संलग्न है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251-A के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तथा चक 3-NKR के प.न. 151/150 मु.न. 43 के किला नं. 1 ता 5 में 01-01 बिस्वा ग्रे.मु. रास्ता उत्तर दिशा में पूर्व-से पश्चिम की ओर स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार प.नं. 150/149 मु.न. 41 के कि.न. 16, 25 में 01-01 बिस्वा रास्ता, पूर्व से ही चले आ रहे स्वीकृत खाळे के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में स्वीकृत किया जाता है। साथ ही मु.न. 44, प.नं. 150/150 के कि.नं. 5 के उत्तरी-पूर्वी कोने में 0.006 हैक्टेयर रास्ता भी मोड़ के लिए स्वीकृत किया जाता है।

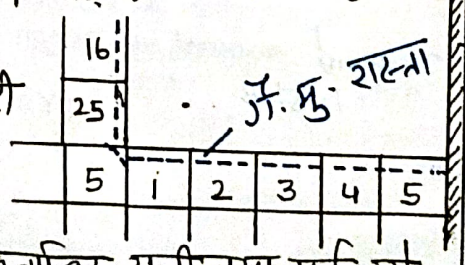

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) नियम 2012 के तहत मुआवजा प्रतिकर मुताबिक राजीनामा, पूर्व से ही पक्षकारों की सहमति से तय हो चुका है। अतः प्रार्थी को अया नहीं करना है। [signature] 17/5/23 SDO

तहसील राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अनुसार ग्रे.मु. रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करें। [signature] 17/5/23 (उप खण्ड अधिकारी)

0.0006 हैक्टेयर पढ़ा जावे। [signature] 18/5/2023